

## अब मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कानून कॉलेज मिलकर करा सकेंगे पढ़ाई

### शहर के दो या उससे अधिक सिंगल स्ट्रीम कॉलेजों के विलय का रास्ता साफ

सीमा शर्मा

नई दिल्ली। आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अब मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आर्ट कॉलेज मिलकर डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सिंगल स्ट्रीम कॉलेजों को दो या उससे अधिक कॉलेजों के साथ मिलकर डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने का रास्ता खोल दिया है। यूजीसी ने इसके लिए बाकायदा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनटू मल्टी डिस्पलरी इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन तैयार कर ली है। यूजीसी शुक्रवार को इसे राज्यों और विश्वविद्यालयों को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी। खास बात यह है कि नए नियमों के तहत एक कॉलेज में कम से कम तीन हजार छात्र होने जरूरी होंगे।

यूजीसी चेयरमैन प्रो. एम जगदीश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बहुविषयक और पढ़ाई का बेहतर माहौल मुहैया करवाने के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है। नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटेक, एमबीबीएस,

यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनटू मल्टी डिस्पलरी इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन तैयार की

आज राज्यों और विश्वविद्यालयों को जारी होगी गाइडलाइन

सात साल तक डिग्री, एंटी-एग्जिट की सुविधा:

रोजगार से जोड़ने के लिए वोकेशनल और इंटरशिप अनिवार्य होंगे। छात्रों को भारत की समृद्ध विरासत, पर्यावरण, भाषा, पड़ोसी समेत दुनिया के देशों के हालात, मुद्दों से लेकर साइबर सिक्योरिटी आदि को पढ़ाई अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसका मकसद छात्र का विषय के अलावा ओवरऑल विकास व ज्ञान से जोड़ना है। चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम को इस प्रकार को तीन हिस्सों में विभाजित किया है। इसमें पहले तीन सेमेस्टर सभी छात्रों को कॉमन और इंटीग्रेटेड कोर्स की अनिवार्य पढ़ाई करनी होगी। इसमें साइंस, थियेटर, डांस, आर्ट, म्यूजिक, साहित्य, भाषा, पर्यावरण, मानवीय मूल्य, भारत को जानो, प्राकृतिक विज्ञान, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन कौशल, नागरिक के रूप में देश व समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, कर्तव्य, अहिंसा, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों को जरूरी पढ़ने में शामिल किया गया है। इसमें कॉमन कोर्स के 24 क्रेडिट तो इंटीग्रेटेड कोर्स के 18 क्रेडिट होंगे। पहले साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथे में ऑनर्स डिग्री व रिसर्च डिग्री मिलेगी। सात साल के भीतर एंटी-एग्जिट की सुविधा मिलेगी। हर साल छात्र को कम से कम 40 क्रेडिट लेने अनिवार्य होंगे। तीन साल की सामान्य डिग्री के लिए 120 क्रेडिट और चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम के लिए ऑनर्स व रिसर्च के साथ 160 क्रेडिट होने जरूरी होंगे।

बीडीएस, बीए-एलएलबी, फिजिकल एजुकेशन जैसे सिंगल डिग्री कॉलेजों को आपस में क्लस्टर बनाकर ऐसे संस्थानों को पढ़ाने की मंजूरी देना है। सिंगल डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने वाले डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। छात्रों और आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से बंद होने की कगार पर

पहुंचे ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान अब शहर या नजदीक के दूसरे कॉलेजों के साथ मिलकर मल्टी डिस्पलरी कोर्स करवा सकेंगे। इसके लिए दोनों कॉलेजों को एक समझौता करना होगा। इसमें वे एक-दूसरे के शिक्षक, भवन समेत इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकेंगे। इस योजना में नेशनल कार्डसिल फॉर टीचर एजुकेशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर में एक मुख्य तो दो छोटे विषय

चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर में एक मुख्य विषय लेना होगा और दो छोटे यानी माइनर सबजेक्ट का विकल्प मिलेगा। इसमें से माइनर सबजेक्ट में से एक अनिवार्य वोकेशनल कोर्स होगा। मुख्य विषय 48 क्रेडिट तो माइनर सबजेक्ट 16-16 क्रेडिट के होंगे। 7वें और 8वें सेमेस्टर में छात्र को ऑनर्स और रिसर्च का विकल्प मिलेगा। ऑनर्स लेने वाले छात्रों को एक सेमेस्टर छोटी रिसर्च पर काम करना होगा। एडवॉंस लेवल पर अपने विषय की पढ़ाई होगी। वहीं, रिसर्च एरिया वाले छात्र को एक सेमेस्टर पूरा एडवॉंस रिसर्च पर काम करना पड़ेगा। छात्रों को अब लर्निंग आउटकम पर भी ध्यान देना होगा। इसी के तहत पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेशनल मेडिकल कमीशन, चार कार्डसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग कार्डसिल, डेंटल कार्डसिल ऑफ इंडिया के अधीनस्थ कॉलेज एक साथ जुड़ेंगे। हालांकि दाखिला नियम व फीस संबंधित कार्डसिल या कमीशन तय करेंगे। इसके लिए यूजीसी रेग्यूलेशन 2020 में संशोधन होगा।